न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 205/2019

1. रामस्वरूप पुत्र श्री गणेशीलाल उर्फ गणेशलाल जाति सिलावट निवासी ग्राम सिलोरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. गणेशीलाल उर्फ गणेशलाल पुत्र छीतर जाति सिलावट निवासी ग्राम सिलोरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. मुकेश पुत्र गणेशीलाल उर्फ गणेशलाल जाति सिलावट निवासी ग्राम सिलोरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. उपपंजीयक, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

5. बनवारीलाल पुत्र गणेशीलाल उर्फ गणेशलाल जाति सिलावट निवासी ग्राम सिलोरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
6. शारदा पुत्री गणेशीलाल उर्फ गणेशलाल पत्नि गोविन्दराम जाति सिलावट निवासी पुराना शहर मालियों की ढाणी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
7. उर्मिला पुत्री गणेशीलाल उर्फ गणेशलाल पत्नि राजेश जाति सिलावट निवासी कुचामन सिटी तहसील कुचामन जिला नागौर राज0

औपचारिक अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांकः 23/12/2022

उपस्थितः श्री रामदेव गुर्जर — प्रार्थी अभिभाषक
श्री गणेश प्रजापत — अप्रार्थी सं0 1, 2, 5, 6, 7

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जरिये वकील श्री रामदेव गुर्जर के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 212 के विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य रक्त संबंध है एवं प्रार्थी, अप्रार्थी सं0 1 का सगा पुत्र/सन्तान है। अप्रार्थी सं0 2 व 5 लगायत 7 प्रार्थी के भाई/बहिन है, अर्थात प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 की जाईन्दा सन्तान है। प्रार्थी की पैतृक कृषि आराजी व अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी की आराजी वर्तमान खाता संख्या 38 के वर्तमान ख0नं0 35 रकबा 03–15–00, ख0नं0 391/34 रकबा 01–0–00, ख0नं0 392/34 रकबा 00–12–00 कुल किता 3 कुल रकबा 03–15–00 भूमि एवं वर्तमान खाता सं0 182 के वर्तमान ख0नं0 394/34 रकबा 00–02–00, ख0नं0 395/35 रकबा 00–02–00 कुल किता 2 कुल रकबा 00–04–00 भूमि तथा वर्तमान खाता संख्या 121 के वर्तमान ख0नं0 33 रकबा 00–02–00 किस्म गै0मु0 चाह भूमि

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

वाकै ग्राम उदयपुर खुर्द पटवार हल्का बरणा तहसील किशनगढ़ में स्थित है। उक्त खाता संख्या 38 में वर्णित भूमि जो अप्रार्थी सं0 1 की एकल खातेदारी भूमि है में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा निहित है एवं खाता सं0 182 में वर्णित भूमि में अप्रार्थी सं0 1 का 1/3 हिस्सा निहित है जिसमें प्रार्थी का 1/6 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण भूमि में 1/18 हिस्सा निहित है तथा वर्तमान खाता सं0 121 में वर्णित भूमि में अप्रार्थी सं0 1 का 1/5 हिस्सा निहित है जिसमें प्रार्थी का 1/30 हिस्सा निहित है जिसे प्रार्थी प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति का अधिकार अभिलेख में इन्द्राज होने के कारण उपरोक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बर में सम्पूर्ण हिस्से का बैचान अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में दिनांक 04.04.2019 को कर दिया गया है जबकि उक्त आराजी अप्रार्थी सं0 1 के पिता से प्राप्त सम्पत्ति है जो पैतृक सम्पत्ति है व पैतृक सम्पत्ति को सम्पूर्ण बैचान करने का अप्रार्थी सं0 1 को विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 04.04.2019 प्रारम्भ से शून्य व अवैध है जो प्रार्थी के हितो/अधिकार पर बेअसर है। उपरोक्त वर्णित प्रार्थी की पैतृक आराजी में अप्रार्थी सं0 2 द्वारा अवैध रूप से अपने पक्ष में अप्रार्थी सं0 1 का सम्पूर्ण हिस्सा अपने पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 04.04.2019 को करवा लिया है एवं उपरोक्त आराजी अन्य दिगर व्यक्ति को बैचान करने के उद्देश्य से अप्रार्थी सं0 2 कुछ भू–माफिया गिरोह से मिलकर खुर्द–बुर्द कर बैचान करने पर उतारू है। इस कारण प्रार्थी ने हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत् विधिक हिस्सा खसरा नम्बर 35, 391/34, 392/34 में प्रार्थी को 1/6 हिस्सा व ख0नं0 394/34, 395/35 में प्रार्थी को 1/18 हिस्सा व ख0नं0 33 में प्रार्थी को 1/30 हिस्से की खातेदारी उद्घोषणा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। वादिया का उपरोक्त पैतृक आराजी में अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 04.04.2019 को निष्पादित करने से अप्रार्थी सं0 2 द्वारा अवैध रूप से बैचान नामान्तकरण खुलवाकर भू–माफिया गिरोह से मिलकर अन्य दिगर व्यक्ति को बैचान करने के उद्देश्य से उपरोक्त आराजी का बैचान, हस्तान्तरण, भारयुक्त करने पर आमादा है। इसलिए अप्रार्थी सं0 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जावे कि उपरोक्त आराजी में बैचान नामान्तकरण नहीं खुलवाने का बैचान, हस्तान्तरण, भारयुक्त शक्ल परिवर्तन नहीं करने की अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी सं0 1 व अप्रार्थी सं0 2 के अवैधानिक कृत्य की जानकारी होने पर भी अप्रार्थी सं0 5 लगायत 7 द्वारा मौन धारण की स्थिति है अर्थात खुर्द बुर्द करने में मौनोलुकता

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

का तात्पर्य स्वीकृति प्रदान करना सिद्ध है। इस कारण अप्रार्थी सं0 5 लगायत 7 को औपचारिक अप्रार्थीगण के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनिय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है। चूंकि उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थी का विधिक हिस्सा निहित है एवं प्रार्थी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी द्वारा वाकै ग्राम उदयपुर खुर्द पटवार हल्का बरणा तहसील किशनगढ़ में स्थित अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी की आराजी वर्तमान खाता संख्या 38 के वर्तमान ख0नं0 35 रकबा 03–15–00, ख0नं0 391/34 रकबा 01–0–00, ख0नं0 392/34 रकबा 00–12–00 कुल किता 3 कुल रकबा 03–15–00 भूमि एवं वर्तमान खाता सं0 182 के वर्तमान ख0नं0 394/34 रकबा 00–02–00, ख0नं0 395/35 रकबा 00–02–00 कुल किता 2 कुल रकबा 00–04–00 भूमि तथा वर्तमान खाता संख्या 121 के वर्तमान ख0नं0 33 रकबा 00–02–00 किस्म गै0मु0 चाह भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त व कृषि कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने एवं उपरोक्त भूमि को बैचान नहीं करने, नामान्तकरण नहीं खुलवाने तथा अन्य दिगर व्यक्ति को बैचान, हस्तान्तरण, भारयुक्त, शक्ल परिवर्तन नहीं करने हेतु एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (**Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4**) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1, 2, 5, 6, 7 की ओर से वकील श्री गणेश प्रजापत द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी सं0 3, 4 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर उनका जवाब अवसर बन्द किया गया।

3.1 अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 2 सद्भाविक क्रेता है तथा उक्त भूमि में प्रार्थी का कोई हक व सम्बन्ध नहीं है तथा इसमें जो सजरा दर्शाया गया है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है तथा उक्त भूमि पारिवारिक बन्दोबस्त के तहत् अप्रार्थी सं0 1 के हिस्से में आई हुई सम्पत्ति है तथा इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नहीं है। प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 का जाईन्दा पुत्र है तथा काफी समय पूर्व प्रार्थी रामस्वरूप पर धारा 302 आई.पी.सी. का मुकदमा चला था तथा उसमें सम्पूर्ण खर्चा अप्रार्थी सं0 1 पिता होने के कारण उनके द्वारा वहन किया गया तथा प्रार्थी के पूरे परिवार का प्रार्थी की अनुपस्थिति में सम्पूर्ण भरण–पोषण अप्रार्थी सं0 1 द्वारा किया गया, इसलिये पूरे परिवार में बैठकर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

यह समझोता हो गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि जो अप्रार्थी सं0 1 के खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त भूमि अप्रार्थी सं0 1 की ही रहेगी, इसलिये उक्त भूमि पर वर्षो से अप्रार्थी सं0 1 ही काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की संतानो को अप्रार्थी सं0 1 ने पढ़ा लिखाकर योग्य बना दिया है जो राजकीय सेवा में है तथा प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 से अलग रहता है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के संबंध में अपनी पूर्ण सहमती दे दी गई है कि अपनी उक्त भूमि को अप्रार्थी सं0 1 ही स्वयं अपने पास ही रखे या इसका कुछ भी करे इसमें प्रार्थी का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 को रूपयो की आवश्यकता हुई क्योंकि अप्रार्थी सं0 1 ने लाखों रूपये प्रार्थी के मुकदमें में खर्च किये तथा देनदारियां बकाया थी उन सभी को पूरा करने के लिये अप्रार्थी सं0 1 ने अपने परिवार के हितों में उचित समझकर अप्रार्थी सं0 2 मुकेश को राजीखुशी उक्त भूमि का सद्भावना से पूर्ण प्रतिफल में बैचान किया है। अप्रार्थी सं0 1 पूर्ण प्रतिफल में राजीखुशी दिनांक 04.04.2019 को अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में पूर्ण प्रतिफल में सद्भाविक रूप से बैचान कर दिया है तथा मौके पर अप्रार्थी सं0 2 को कब्जा सम्भला दिया है तथा मौके पर अप्रार्थी सं0 2 बैचान की दिनांक से बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है तथा इस भूमि में प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा अप्रार्थी सं0 1 ने अपनी इमानदारी से सभी संतानों के साथ समानता का भाव रखते हुये पारिवारिक विभाजन कर दिया है तथा उसके तहत् प्रार्थी का सम्पूर्ण हिसाब कर दिया है तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं0 2 को गलत रूप से परेशान करने की मंशा से यह गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी सं0 2 मौके पर काबिज काश्त है तथा इस भूमि पर कभी भी प्रार्थी का कब्जा नहीं रहा है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् प्रार्थी ने अपने पिता से पारिवारिक सम्पत्तियों बाबत् सम्पूर्ण विभाजन करके अपनी संतुष्टि कर ली है उसके बाद भी अप्रार्थी सं0 1 को नाजायज रूप से परेशान करने की मंशा से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। अतः अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारिज करने का निवेदन किया।

3.2 अप्रार्थी सं0 6, 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं है तथा अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में दिनांक 04.04.2019 को पूर्ण प्रतिफल में बैचान किया गया है वह सही है तथा इसमें प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा यह स्वयं गणेशीलाल की सम्पत्ति है तथा अन्य सभी संतानों को सम्पत्ति का विभाजन करके अप्रार्थी सं0 1 ने हिस्सा दे दिया है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा विक्रित आराजी का अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

सं0 2 के पक्ष में दिनांक 08.11.2019 को मजमें आम में नामान्तकरण दर्ज करवा दिया गया है तथा मौके पर अप्रार्थी सं0 2 उक्त भूमि पर राजीखुशी काबिज काश्त है तथा इसमें प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा अपने पिता को अनुचित दबाव में लेकर रूपयें ऐंठने की मंशा से यह वाद पत्र पेश किया है। प्रार्थी रामस्वरूप पर धारा 302 आई.पी.सी. का मुकदमा चला था तथा उसमें सम्पूर्ण खर्चा अप्रार्थी सं0 1 पिता होने के कारण उनके द्वारा वहन किया गया तथा प्रार्थी के पूरे परिवार का प्रार्थी की अनुपस्थिति में सम्पूर्ण भरण–पोषण अप्रार्थी सं0 1 द्वारा किया गया, इसलिये पूरे परिवार में बैठकर सभी के सामने तथा जवाबकर्ता के सामने फैसला हो गया कि वादअधीन आराजी अप्रार्थी सं0 1 के ही हाथ खर्च हेतु रहेगी, उसमें जाईन्दा संतान का कोई हक व हिस्सा नहीं रहेगा। प्रार्थी की संतानों को अप्रार्थी सं0 1 ने पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया है जो राजकीय सेवा में है, प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 से अलग रहता है। अप्रार्थी सं0 1 को रूपयों की आवश्यकता हुई क्योंकि अप्रार्थी सं0 1 ने लाखों रूपये प्रार्थी के मुकदमें में खर्च किये है तथा सभी देनदारियों को पूरा करने के लिये अप्रार्थी सं0 1 द्वारा भूमि के बैचान किया गया है। अतः जवाबकर्ता द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारिज करने का निवेदन किया।

3.3 अप्रार्थी सं0 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 5 के संयुक्त परिवार की कृषि भूमि है जिसमें अप्रार्थी सं0 5 का भी हिस्सा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में दिनांक 04.04.2019 को विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है तथा इसमें अप्रार्थी सं0 5 का हिस्सा निहित है उसका विक्रय पत्र अप्रार्थी सं0 2 मुकेश के नाम कर दिया गया है इसलिए अप्रार्थी सं0 5 के द्वारा अपने पारिवारिक बंटवारे में बनवारी के हिस्से की भूमि को मुकेश को दिया है अर्थात बनवारी द्वारा अपने हिस्से का हक त्याग मुकेश के पक्ष में कर दिया है। इसलिये उक्त सम्पत्ति बाबत् अप्रार्थी सं0 5 द्वारा कोई भी उजर नहीं किया जायेगा। दिनांक 04.04.2019 को अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया है इसके सम्बन्ध में अप्रार्थी सं0 5 को कोई आपत्ति नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर मौके पर अप्रार्थी सं0 2 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः जवाबकर्ता द्वारा निवेदन किया किया की उनको न्यायालय से कोई अनुतोष नहीं चाहिए।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति का अधिकार

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

अभिलेख में इन्द्राज होने के कारण उपरोक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बर में सम्पूर्ण हिस्से का बैचान अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में दिनांक 04.04.2019 को कर दिया गया है जबकि उक्त आराजी अप्रार्थी सं0 1 के पिता से प्राप्त सम्पत्ति है जो पैतृक सम्पत्ति है व पैतृक सम्पत्ति को सम्पूर्ण बैचान करने का अप्रार्थी सं0 1 को विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 04.04.2019 प्रारम्भ से शून्य व अवैध है जो प्रार्थी के हितो/अधिकार पर बेअसर है। उपरोक्त आराजी अन्य दिगर व्यक्ति को बैचान करने के उद्देश्य से अप्रार्थी सं0 2 कुछ भू–माफिया गिरोह से मिलकर खुर्द–बुर्द कर बैचान करने पर उतारू है। इस कारण प्रार्थी ने हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत् विधिक हिस्सा खसरा नम्बर 35, 391/34, 392/34 में प्रार्थी को 1/6 हिस्सा व ख0नं0 394/34, 395/35 में प्रार्थी को 1/18 हिस्सा व ख0नं0 33 में प्रार्थी को 1/30 हिस्से की खातेदारी उद्घोषणा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनिय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है। चूंकि उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थी का विधिक हिस्सा निहित है एवं प्रार्थी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त व कृषि कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने एवं उपरोक्त भूमि को बैचान नहीं करने, नामान्तकरण नहीं खुलवाने तथा अन्य दिगर व्यक्ति को बैचान, हस्तान्तरण, भारयुक्त, शक्ल परिवर्तन नहीं करने हेतु एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

4.2 वकील अप्रार्थीगण सं0 1, 2, 5, 6, 7 द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं है तथा अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में दिनांक 04.04.2019 को पूर्ण प्रतिफल में बैचान किया गया है वह सही है तथा इसमें प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा यह स्वयं गणेशीलाल की सम्पत्ति है तथा अन्य सभी संतानों को सम्पत्ति का विभाजन करके अप्रार्थी सं0 1 ने हिस्सा दे दिया है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा विक्रित आराजी का अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में दिनांक 08.11.2019 को मजमें आम में नामान्तकरण दर्ज करवा दिया गया है तथा मौके पर अप्रार्थी सं0 2 उक्त भूमि पर राजीखुशी काबिज काश्त है तथा इसमें प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं है। प्रार्थी रामस्वरूप पर धारा 302 आई.पी.सी. का मुकदमा चला था तथा उसमें सम्पूर्ण खर्चा अप्रार्थी सं0 1 पिता होने के कारण उनके द्वारा वहन किया

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

गया तथा प्रार्थी के पूरे परिवार का प्रार्थी की अनुपस्थिति में सम्पूर्ण भरण–पोषण अप्रार्थी सं0 1 द्वारा किया गया, इसलिये पूरे परिवार में बैठकर सभी के सामने तथा जवाबकर्ता के सामने फैसला हो गया कि वादअधीन आराजी अप्रार्थी सं0 1 के ही हाथ खर्च हेतु रहेगी, उसमें जाईन्दा संतान का कोई हक व हिस्सा नहीं रहेगा। अप्रार्थी सं0 1 को रूपयों की आवश्यकता हुई क्योंकि अप्रार्थी सं0 1 ने लाखों रूपये प्रार्थी के मुकदमें में खर्च किये है तथा सभी देनदारियों को पूरा करने के लिये अप्रार्थी सं0 1 द्वारा भूमि के बैचान किया गया है। अतः वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारिज करने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र व बहस के दौरान उठाये गये कथनो/तथ्यों की वास्तविकता के संबंध में मूल वाद में साक्ष्य के आधार पर गुणागुण परिक्षण कर निर्णय पारित किया जावेगा।

न्यायालय हाजा को यह उचित प्रतीत होता है कि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 4 राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ताकि वाद बाहुलता नहीं बढ़े।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 4 को ग्राम उदयपुर खुर्द तहसील किशनगढ़ स्थित वादग्रस्त आराजी वर्तमान खाता संख्या 38 के वर्तमान ख0नं0 35 रकबा 03–15–00, ख0नं0 391/34 रकबा 01–0–00, ख0नं0 392/34 रकबा 00–12–00 कुल किता 3 कुल रकबा 03–15–00 भूमि एवं वर्तमान खाता सं0 182 के वर्तमान ख0नं0 394/34 रकबा 00–02–00, ख0नं0 395/35 रकबा 00–02–00 कुल किता 2 कुल रकबा 00–04–00 भूमि तथा वर्तमान खाता संख्या 121 के वर्तमान ख0नं0 33 रकबा 00–02–00 किस्म गै0मु0 चाह भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23/12/22 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)